

2016 का विधेयक संख्यांक 324

[दि एप्रोप्रिएशन (नम्बर 5) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2016

**वित्तीय वर्ष 2016-17 की सेवाओं के लिए भारत की
संचित निधि में से कतिपय और राशियों के
संदाय और विनियोग को प्राधिकृत
करने के लिए
विधेयक**

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2016 है । संक्षिप्त नाम ।
- 5 2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग पांच खरब, निन्यानवे अरब, अठहत्तर करोड़, उनतीस लाख रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दिए जाने होंगे, संदत और उपयोजित की जा सकेंगी । वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत की संचित निधि में से 5,99,78,29,00,000 रुपए का निकाला जाना ।
- 10 3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी । विनियोग ।

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1	2	3			
		निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			₹0	₹0	₹0
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	राजस्व	61,92,57,00,000	..	61,92,57,00,000
3	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	राजस्व	3,00,000	..	3,00,000
5	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	राजस्व	4,00,000	..	4,00,000
9	नागर विमानन मंत्रालय	पूंजी	8,61,65,00,000	..	8,61,65,00,000
11	वाणिज्य विभाग	राजस्व	89,94,00,000	..	89,94,00,000
		पूंजी	1,10,00,00,000	..	1,10,00,00,000
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
14	दूरसंचार विभाग	राजस्व	40,07,64,00,000	..	40,07,64,00,000
15	इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	2,44,00,000	..	2,44,00,000
16	उपभोक्ता मामले विभाग	राजस्व	19,88,39,00,000	..	19,88,39,00,000
17	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	राजस्व	2,50,00,00,000	..	2,50,00,00,000
18	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	राजस्व	14,29,00,000	..	14,29,00,000
19	संस्कृति मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
20	रक्षा मंत्रालय (प्रकीर्ण)	राजस्व	35,12,00,00,000	..	35,12,00,00,000
		पूंजी	10,00,00,00,000	..	10,00,00,00,000
22	रक्षा सेवाएं (राजस्व)	राजस्व	10,00,00,00,000	..	10,00,00,00,000
24	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	6,50,00,000	651,00,000
25	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	राजस्व	40,00,00,00,000	..	40,00,00,00,000

1	2	3			
		₹0	₹0	₹0	
26	भू-विज्ञान मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
27	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	राजस्व	3,00,000	..	3,00,000
28	विदेश मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
29	आर्थिक कार्य विभाग	राजस्व	20,04,00,000	..	20,04,00,000
		पूंजी	2,00,000	..	2,00,000
30	वित्तीय सेवाएं विभाग	राजस्व	3,00,000	..	3,00,000
32	राज्यों को अंतरण	राजस्व	6,51,00,00,000	..	6,51,00,00,000
		पूंजी	..	25,00,00,00,000	25,00,00,00,000
	विनियोग--ऋण का प्रतिदाय	पूंजी	..	1,00,000	1,00,000
34	व्यय विभाग	राजस्व	13,35,00,000	..	13,35,00,000
35	पेंशन	राजस्व	11,00,00,00,000	10,00,00,000	11,10,00,00,000
36	भारतीय संपरीक्षा और लेखा विभाग	राजस्व	1,12,49,00,000	6,05,00,000	1,18,54,00,000
		पूंजी	2,69,00,000	..	2,69,00,000
37	राजस्व विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
38	प्रत्यक्ष कर	पूंजी	2,00,000	..	2,00,000
39	अप्रत्यक्ष कर	राजस्व	2,10,00,00,000	..	2,10,00,00,000
		पूंजी	2,00,000	..	2,00,000
41	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
42	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	9,64,81,00,000	..	9,64,81,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
43	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	राजस्व	2,00,01,00,000	..	2,00,01,00,000
44	भारी उद्योग विभाग	राजस्व	46,18,93,00,000	..	46,18,93,00,000
		पूंजी	9,67,27,00,000	..	9,67,27,00,000
46	गृह मंत्रालय	राजस्व	3,00,02,00,000	..	3,00,02,00,000
47	मंत्रिमंडल	राजस्व	2,26,36,00,000	..	2,26,36,00,000

1	2	3			
		₹0	₹0	₹0	
48	पुलिस	राजस्व	22,63,42,00,000	..	22,63,42,00,000
		पूंजी	8,42,99,00,000	12,00,00,000	8,54,99,00,000
49	विधान-मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों को अंतरण	राजस्व	95,15,00,000	..	95,15,00,000
50	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
51	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	राजस्व	3,42,04,00,000	..	3,42,04,00,000
52	उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व	7,63,20,00,000	..	7,63,20,00,000
53	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	राजस्व	20,00,00,000	..	20,00,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
54	श्रम और रोजगार मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
55	निर्वाचन आयोग	राजस्व	1,48,00,000	..	1,48,00,000
		पूंजी	23,00,00,000	..	23,00,00,000
	भारित-भारत का उच्चतम न्यायालय	राजस्व	..	52,12,00,000	52,12,00,000
58	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
		पूंजी	6,00,00,000	..	6,00,00,000
59	खान मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
60	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
61	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	राजस्व	15,00,00,000	..	15,00,00,000
64	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	राजस्व	3,00,000	..	3,00,000
		पूंजी	18,22,00,000	..	18,22,00,000
66	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	राजस्व	81,16,00,000	..	81,16,00,000
		पूंजी	14,50,00,00,000	..	14,50,00,00,000
68	विद्युत मंत्रालय	राजस्व	4,76,26,00,000	..	4,76,26,00,000
		पूंजी	14,93,59,00,000	..	14,93,59,00,000

1	2	3	रु०	रु०	रु०
	भारत--राष्ट्रपति के राजस्व	..		341,00,000	3,41,00,000
	कर्मचारिवृंद, गृह और भत्ते				
	भारत--संघ लोक सेवा आयोग राजस्व	..		24,92,00,000	24,92,00,000
73	उपराष्ट्रपति का सचिवालय राजस्व		39,00,000	..	39,00,000
74	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राजस्व		2,00,000	..	2,00,000
	पूंजी		1,00,000	..	1,00,000
75	ग्रामीण विकास विभाग राजस्व		80,04,25,00,000	..	80,04,25,00,000
79	जैव प्रौद्योगिकी विभाग राजस्व		97,23,00,000	..	97,23,00,000
80	पोत परिवहन मंत्रालय राजस्व		4,00,000	..	4,00,000
	पूंजी		56,24,00,000	..	56,24,00,000
81	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय राजस्व		3,68,72,00,000	..	3,68,72,00,000
82	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राजस्व		3,00,000	..	3,00,000
83	विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग राजस्व		1,00,000	..	1,00,000
84	अंतरिक्ष विभाग राजस्व		1,14,00,000	..	1,14,00,000
	पूंजी		2,35,00,00,000	..	2,35,00,00,000
85	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राजस्व		6,99,00,000	..	6,99,00,000
86	स्टील मंत्रालय राजस्व		42,53,00,000	..	42,53,00,000
	पूंजी		2,00,00,00,000	1,10,00,00,000	3,10,00,00,000
87	वस्त्र मंत्रालय राजस्व		14,71,31,00,000	..	14,71,31,00,000
	पूंजी		70,00,00,000	..	70,00,00,000
88	पर्यटन मंत्रालय राजस्व		80,61,00,000	..	80,61,00,000
89	जनजातीय कार्य मंत्रालय राजस्व		50,00,000	3,20,00,000	3,70,00,000
90	अंदमान और निकोबार द्वीप पूंजी		1,00,000	..	1,00,000
91	चंडीगढ़ राजस्व		1,00,00,00,000	..	1,00,00,00,000
	पूंजी		6,00,000	2,00,00,00,000	2,00,06,00,000

1	2	3			
		रु०	रु०	रु०	
93	दमण और दीव	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
94	लक्षद्वीप	राजस्व	3,00,000	..	3,00,000
		पूंजी	10,00,000	..	10,00,000
95	शहरी विकास मंत्रालय	राजस्व	23,07,00,00,000	..	23,07,00,00,000
		पूंजी	37,00,01,00,000	..	37,00,01,00,000
97	महिला और बाल विकास मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
योग :			5,70,50,08,00,000	29,28,21,00,000	5,99,78,29,00,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 के साथ पठित, उसके अनुच्छेद 114(1) के अनुसरण में पुरःस्थापित किया जा रहा है। यह भारत की संचित निधि में से उन धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए है जो, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय, और रेलों को छोड़कर, केंद्रीय सरकार के व्यय के लिए लोक सभा द्वारा किए गए अनुदानों को चुकाने के लिए आवश्यक है।

अरुण जेटली